न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–400/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00015)

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी नारायण, जाति कीर, निवासी काचरोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत कॉचरोदा, पंचायत समिति दूदू जरिये सरपंच,
2 गोपाल लाल पुत्र रामदेव, जाति कीर, निवासी काचरोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
3 राजेश कुमावत पुत्र रामकरण कुमावत, निवासी 206 ए, नेहरू नगर पानी पेज बस्ती, सीतारामपुरा, जयपुर।
4 मंजूदेवी पुत्री स्व. नारायण, जाति कीर, निवासी काचरोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फुलेरा, मु0 सांभरलेक, जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 30.05.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश दिनांक 06.10.2016 (प्रकरण संख्या 4/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीया के पति नारायण पुत्र पदमा, जाति कीर, निवासी ग्राम काचरोदा के खातेदारी में खसरा नम्बर 261 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 262 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा अंकित चली आ रही थी जिनकी मृत्यु होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत प्रार्थीया एवं उसकी एकमात्र पुत्री मंजू देवी के नाम नामान्तरकरण अंकित किया जाना था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साजबाज करके गैरकानूनी रूप से गोदपुत्र बनकर नामान्तरकरण संख्या 788 दिनांक 07.12.1988 को बिना जॉच पड़ताल के अंकित करवा लिया जबकि अपीलार्थी के पति ने उसे कभी गोद नही लिया था एवं इस तरह अपीलार्थीया एवं उसकी पुत्री मंजू को उपरोक्त आराजीयात से महरूम कर दिया गया है। उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 19.02.2015 को होने पर एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में प्रस्तुत किया गया था एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के परामर्श पर एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में अपील संख्या 4 दिनांक 11.06.2015 को प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 11.06.2015 को ही प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुये रेस्पोडेन्ट को भूमि विक्रय नही करने

P.T.O.

तथा राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किया गया जो दिनांक 06.10.2016 तक प्रभावी रहा तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 0610.2016 को अपील संख्या 4/15 को उपरोक्त स्थगन खारिज करते हुये अपील की सुनवाई स्थगित कर दी जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 788 दिनांक 07.12.1988 कानूनी रूप से नही भरा गया बल्कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत जो प्रथम श्रेणी के वारिस है उन्हे उनकी पैतृक कृषि भूमि से सदैव के लिऐ महरूम करने की गरज से भर दिया गया, जो कि कानूनन बोईड अएब इनिसियों है एवं ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी जो कि विधवा है एवं उसके एकमात्र पुत्री भी विधवा है जिसके पॉच नाबालिंग लड़कियॉ है तो उपरोक्त फर्जी दत्तक बना हुआ व्यक्ति गोपाल लाल पुत्र रामदेव जाति कीर निवासी काचरोदा एवं राजेश कुमावत पुत्र रामकरण कुमावत जबरन अपीलार्थी के पति से विरासतन में आई भूमि पर कब्जा कर लेगें एवं अपीलार्थी की पुत्री की नाबालिंग बच्चीयों की शादी करने में अपीलार्थी को एवं उसकी पुत्री मंजू को परेशानी पैदा हो जायेगी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि स्थानीय ग्राम पंचायत काचरोदा ने प्रार्थीयॉ के पक्ष में एक वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 26.11.2014 को जारी किया है एवं प्रार्थीया के नाम ग्राम काचरोदा की जमाबन्दी सम्वत् 2071 लगायत 2074 में नारायण पुत्र पदमा जो प्रार्थीया के पति है, के नाम अंकित खसरा नम्बर 257 रकबा 1 बीघा चाही 3 भूमि जरिये नामान्तररण संख्या 1525 दिनांक 05.12.2014 को अपीलार्थीया एवं उसकी पुत्री मंजू देवी के नाम विरासतन अंकित हुआ है जिसका अंकन उपरोक्त जमाबन्दी में मौजूद है इससे सहज ही पता चलेगा कि अपीलार्थीया एवं उसकी पुत्री मंजू देवी श्री नारायण पुत्र पदमा के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनके साथ अन्याय एवं एव कुठाराघात करते हुये राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोपाल लाल पुत्र रामदेव से साजबाज करके नामान्तरकरण संख्या 788 दिनांक 07.12.1988 को गैर कानूनी रूप से दर्ज करवाया है जो अपीलार्थीया एवं उसकी पुत्री के अधिकारों के विपरित होने से बैअसर है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने केवल एक दिन में ही दिनांक 06.10.2016 को अपीलार्थीया के पक्ष मे जारी स्थगन दिनांक 11.06.2015 को खारिज कर पक्षपातपूर्ण निर्णय पारित किया है, जो आरबीट्रेरी एव न्यायिक दृष्टि से ठहरने योग्य नही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1525 की तर्ज पर नामान्तरकरण संख्या 788 दिनांक 07.12.1988 बाबत आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 262 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा के बाबत जो सरपंच ग्राम पंचायत काचरोदा में दिनांक 07.12.1988 को कानून के विपरित तस्दीक किया था को खारिज किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने दिनांक 06.10.2016 को मनमाना जो आदेश पारित किया है, उसे भी निरस्त किया जावें।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने उक्त विवादग्रत आराजी को उचित प्रतिफल देकर क्रय की है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उक्त आराजी का बोनाफाईड परचेजर है एवं अराजी पर काबिज काश्त है, अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर व गलत तथ्यों के आधारों पर प्रस्तुत की गई थी तथा अपील प्रस्तुत करने के पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा अपने हक व अधिकारों की घोषणा हेतु एक नियमित वाद भी प्रस्तुत कर रखा है, जो वर्तमान में भी विचाराधीन है, उक्त वाद में ही पक्षकारों के हक व अधिकार तय होगे तथा नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुये अपील की कार्यवाही जो कि एक संक्षिप्त कार्यवाही की श्रेणी में आती है यह दावे के विचाराधीन रहते हुये नही चल सकती। उन्होने कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 3 वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड टिनेन्ट है जिसके पक्ष में राजस्व अभिलेखों में भी जरिये नामान्तरकरण संख्या 1530 के नाम का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जा चुका है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा जिस समय आराजी को क्रय किया गया था उस समय आराजी अपीलान्ट के नाम नही थी इसलिये समस्त राजस्व दस्तावेज देखकर ही उक्त भूमि क्रय की है तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.12.1988 के आदेश के द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 788 के विरूद्ध करीबन 27 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा इतने वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई समुचित कारण भी अपील में अंकित नही किया गया है। उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2016 कानूनी रूप से सही व उचित है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने भी अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया गया।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 788 के अवलोकन से जाहिर होता है कि नारायण पुत्र पदमा की की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण गोपाल लाल दत्तक पुत्र नारायण के नाम सरपंच ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा दिनांक 07.12.1988 को स्वीकार किया गया है इसी प्रकार एक अन्य नामान्तरकरण संख्या 1525 के अवलोकन से जाहिर होता है कि मृतक खातेदार नारायण पुत्र पदमा की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट प्रेमदेवी व मंजूदेवी पुत्री नारायण के नाम सरपंच ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा दिनांक 05.12.2014 को स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सरपंच द्वारा मृतक खातेदार नारायण पुत्र पदमा की अलग–अलग खातेदारी आराजी दो विरासती नामान्तरकरण से अलग–अलग व्यक्तियों के नाम स्वीकार किये गये है जबकि कानूनन निर्वसीयती मृतक खातेदार की आराजी के नामान्तरकरण सभी वारिसान के नाम समान हिस्से में खोले जाने चाहिये।

P.T.O.

पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक नियमित वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में भी विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के अधिकारों की घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील की कार्यवाही अपीलान्ट के नियमित वाद के निस्तारण तक स्थगित किये जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की अपील की सुनवाई अपीलान्ट के नियमित वाद के साथ–साथ की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।